



क्रमांक 4233 / स्था. / प्रशा. / 2024

बिलासपुर, दिनांक : 22/11 / 2024

—:: आदेश ::—

सक्षम अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठातागण/विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारी/समस्त शिक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि, विश्वविद्यालय की सामान्य जानकारी, आदेश, कार्यालयीन ज्ञाप आदि विश्वविद्यालय की वेबसाइट में Upload (प्रकाशित)/Delete सिर्फ समर्थ के माध्यम से ही किया जावेगा। विभागीय Upload (प्रकाशित)/Delete का कार्य वर्तमान की तरह ही विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारी के माध्यम से विभाग के यूजर आई. डी. से ही किया जावेगा। जो भी डाक्यूमेंट ईमेल के माध्यम से वेबसाइट सेल को भेजा जाता था, वह अब Content Federation System (CFS) Module के माध्यम से भेजा जावेगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ.क्र. 4234 / स्था. / प्रशा. / 2024

बिलासपुर, दिनांक: 22/11 / 2024

प्रतिलिपि:

01. कुलपति महोदय/कुलसचिव/निज सचिव की ओर माननीय कुलपति महोदय/कुलसचिव की ओर सूचनार्थ।
02. समस्त अधिष्ठातागण/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/नोडल अधिकारी/विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
03. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबपटल की ओर, विश्वविद्यालय के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
04. कार्यालय प्रति।


सहायक कुलसचिव (प्रशासन)